



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 2, 2013/पौष 12, 1934

No. 30]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 2, 2013/PAUSA 12, 1934

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2013

क्र.आ. 31(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं जिसमें डा. वाई.वी. रेड्डी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, अध्यक्ष के रूप में और निम्नलिखित चार सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :

1. प्रो. अभिजीत सेन
सदस्य योजना आयोग
सदस्य (अंश कालिक)
2. सुश्री सुषमा नाथ
पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव
सदस्य
3. डा. एम. गोविन्दा राव
निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त
एवं नीति संस्थान,
नई दिल्ली
सदस्य

4. डा. सुदीप्तो मुंडले
पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष,
राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
- सदस्य
2. श्री अजय नारायण झा आयोग के सचिव होंगे।
3. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस तारीख से, जिसको वे अपना-अपना पद ग्रहण करते हैं, 31 अक्टूबर, 2014 तक पद धारण करेंगे।
4. आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा, अर्थात्:-
- (i) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1, अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन;
- (ii) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां; और
- (iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपाय।
5. आयोग, विशेष रूप से, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई राजवित्तीय समेकन रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए, संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति, घाटे और ऋण स्तरों का पुनर्विलोकन और वर्तमान में प्रवृत्त राजवित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध अधिनियमों में संशोधन के सुझावों सहित समान वृद्धि से संगत स्थिर और पोषणीय राजवित्तीय वातावरण बनाए रखने के लिए उपायों का सुझाव देगा और ऐसा करते समय, आयोग, घाटे के संबंध में पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के रूप में प्राप्तियों और व्यय के प्रभाव पर विचार कर सकेगा; और आयोग, राजवित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंध अधिनियमों में अधिकथित बाध्यताओं का पालन करने हेतु राज्यों के लिए प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों पर भी विचार करेगा और उनकी सिफारिश भी करेगा।
6. आयोग अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा:-
- (i) वर्ष 2014-15 के दौरान पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर-कर राजस्वों के

संभावित स्तरों के आधार पर, 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार के संसाधन;

- (ii) केंद्रीय सरकार के संसाधनों, विशेष रूप से सिविल प्रशासन, रक्षा, आंतरिक और सीमा सुरक्षा, ऋण सेवा और अन्य प्रतिबद्ध व्यय तथा दायित्वों संबंधी मांग;
- (iii) वर्ष 2014-15 के दौरान पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर-कर राजस्वों के संभावित स्तरों के आधार पर, 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए, राज्य सरकारों के संसाधन और विभिन्न शीर्षों के अधीन ऐसे संसाधनों पर मांग, जिसके अंतर्गत ऋण प्रतिबलित राज्यों में उपलब्ध संसाधन पर ऋण स्तरों का समाघात भी है;
- (iv) सभी राज्यों और संघ के राजस्व खाते पर प्राप्तियों और व्यय को न केवल संतुलित करने, अपितु पूंजी निवेश के लिए अधिशेष उदभूत करने का भी उद्देश्य;
- (v) केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान संबंधी प्रयास और संघ की दशा में कर-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और राज्यों की दशा में कर-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता;
- (vi) पोषणीय और समावेशित विकास, और केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच साहयिकियों के समान विभाजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित साहयिकियों का स्तर;
- (vii) पूंजीगत आस्तियों के रख-रखाव और अनुरक्षण के गैर-वेतन घटक संबंधी व्यय और 31 मार्च, 2015 तक पूरी की जाने वाली आयोजना स्कीमों पर गैर-मजूदरी संबंधी रख-रखाव व्यय तथा ऐसे मानदण्ड, जिनके आधार पर पूंजीगत आस्तियों के रख-रखाव के लिए विनिर्दिष्ट धनराशियों की सिफारिश की जाती है, तथा ऐसे व्यय को मानीटर करने की रीति;
- (viii) पेयजल, सिंचाई, विद्युत और सार्वजनिक परिवहन जैसी जनोपयोगी सेवाओं के मूल्यनिर्धारण को कानूनी उपबंधों के मार्फत नीतिगत उतार-चढ़ावों से अलग रखने की आवश्यकता;
- (ix) पब्लिक सेक्टर उद्यमों को प्रतिस्पर्धी और बाजारोन्मुखी बनाने, सूचीबद्ध और विनिवेश और गैर-प्राथमिकता वाले उद्यमों को छोड़ने की आवश्यकता;
- (x) सतत आर्थिक विकास के अनुरूप पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संतुलित प्रबंध की आवश्यकता; और
- (xi) केंद्र और राज्यों के वित्तीय-साधनों पर प्रस्तावित माल और सेवा कर का प्रभाव और किसी राजस्व हानि की दशा में क्षतिपूर्ति के लिए तंत्र।

7. आयोग, विभिन्न विषयों पर अपनी सिफारिशें करते समय, उन सभी मामलों में, जहां करों और शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के अंतरण को अवधारित करने के लिए जनसंख्या एक कारक है, वर्ष 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को, सामान्यतया, आधार के रूप में लेगा; तथापि, आयोग, उन जनसांख्यिकीय बदलावों को भी ध्यान में रख सकेगा जो 1971 के बाद में हुए हैं।
8. आयोग, बजटीय और लेखाकरण मानकों तथा परंपराओं सहित, विद्यमान में लागू लोक व्यय प्रबंध प्रणालियों; प्राप्तियों और व्यय के वर्गीकरण की विद्यमान प्रणाली; परिव्ययों को उत्पादन और परिणाम से जोड़ने; देश में और विदेशों में प्रचलित सर्वोत्तम परंपराओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।
9. आयोग, आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अधीन गठित निधियों के प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंध के वित्तपोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।
10. आयोग उन आधारों को बताएगा, जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्तियों और व्यय के राज्य-वार अनुमान उपलब्ध कराएगा।
11. आयोग, 1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए, 31 अक्टूबर, 2014 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

नई दिल्ली, तारीख 1 जनवरी, 2013

ह./-
प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा. सं. 10(2)-बी (एस)/2012]
डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd January, 2013

S.O. 31(E).— The following order made by the President is published for general information:-

ORDER

In pursuance of clause (1) of article 280 of the Constitution, read with the provisions of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to constitute a Finance Commission consisting of Dr. Y.V.Reddy, former Governor Reserve Bank of India, as the Chairman and the following four other members, namely: -

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Prof Abhijit Sen
Member, Planning Commission | Member
(Part Time) |
| 2. | Ms.Sushma Nath
Former Union Finance Secretary | Member |
| 3. | Dr.M.Govinda Rao
Director, National Institute for Public
Finance and Policy, New Delhi | Member |
| 4. | Dr.Sudipto Mundle
Former Acting Chairman,
National Statistical Commission | Member |

2. Shri Ajay Narayan Jha shall be the Secretary to the Commission.

3. The Chairman and the other members of the Commission shall hold office from the date on which they respectively assume office upto the 31st day of October, 2014.

4. The Commission shall make recommendations as to the following matters, namely:-

- (i) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under Chapter I, Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;

- (ii) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States which are in need of assistance by way of grants-in-aid of their revenues under article 275 of the Constitution for purposes other than those specified in the provisos to clause (1) of that article; and
- (iii) the measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities in the State on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the State.

5. The Commission shall review the state of the finances, deficit and debt levels of the Union and the States, keeping in view, in particular, the fiscal consolidation roadmap recommended by the Thirteenth Finance Commission, and suggest measures for maintaining a stable and sustainable fiscal environment consistent with equitable growth including suggestions to amend the Fiscal Responsibility Budget Management Acts currently in force and while doing so, the Commission may consider the effect of the receipts and expenditure in the form of grants for creation of capital assets on the deficits; and the Commission shall also consider and recommend incentives and disincentives for States for observing the obligations laid down in the Fiscal Responsibility Budget Management Acts.

6. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to –

- (i) the resources of the Central Government, for five years commencing on 1st April 2015, on the basis of levels of taxation and non-tax revenues likely to be reached during 2014-15;
- (ii) the demands on the resources of the Central Government, in particular, on account of the expenditure on civil administration, defence, internal and border security, debt-servicing and other committed expenditure and liabilities;
- (iii) the resources of the State Governments and the demands on such resources under different heads, including the impact of debt levels on resource availability in debt stressed states, for the five years commencing on 1st April 2015, on the basis of levels of taxation and non-tax revenues likely to be reached during 2014-15;
- (iv) the objective of not only balancing the receipts and expenditure on revenue account of all the States and the Union, but also generating surpluses for capital investment;

- (v) the taxation efforts of the Central Government and each State Government and the potential for additional resource mobilisation to improve the tax-Gross Domestic Product ratio in the case of the Union and tax-Gross State Domestic Product ratio in the case of the States;
- (vi) the level of subsidies that are required, having regard to the need for sustainable and inclusive growth, and equitable sharing of subsidies between the Central Government and State Governments;
- (vii) the expenditure on the non-salary component of maintenance and upkeep of capital assets and the non-wage related maintenance expenditure on plan schemes to be completed by 31st March, 2015 and the norms on the basis of which specific amounts are recommended for the maintenance of the capital assets and the manner of monitoring such expenditure;
- (viii) the need for insulating the pricing of public utility services like drinking water, irrigation, power and public transport from policy fluctuations through statutory provisions;
- (ix) the need for making the public sector enterprises competitive and market oriented; listing and disinvestment; and relinquishing of non-priority enterprises;
- (x) the need to balance management of ecology, environment and climate change consistent with sustainable economic development; and
- (xi) the impact of the proposed Goods and Services Tax on the finances of Centre and States and the mechanism for compensation in case of any revenue loss.

7. In making its recommendations on various matters, the Commission shall generally take the base of population figures as of 1971 in all cases where population is a factor for determination of devolution of taxes and duties and grants-in-aid; however, the Commission may also take into account the demographic changes that have taken place subsequent to 1971.

8. The Commission may review the present Public Expenditure Management systems in place including the budgeting and accounting standards and practices; the existing system of classification of receipts and expenditure; linking outlays to outputs and outcomes; best practices within the country and internationally, and make appropriate recommendations thereon.

9. The Commission may review the present arrangements as regards financing of Disaster Management with reference to the funds constituted under the Disaster Management Act, 2005(53 of 2005), and make appropriate recommendations thereon.

10. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings and make available the State-wise estimates of receipts and expenditure.

11. The Commission shall make its report available by the 31st October, 2014, covering a period of five years commencing on the 1st April, 2015.

New Delhi, Dated the 1st January, 2013

Sd/-
SHRI PRANAB MUKHERJEE
President

[F. No. 10(2)-B(S)/2012]

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy. (Budget)

7 011 0011
2013 JAN